न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–94 सन् 2018

सुदामा राय व अन्य.....वादीगण

बनाम

लक्ष्मण राय व अन्य .....प्रतिवादीगण

दिनांक– 13.04.2022

उभय पक्ष अनुपस्थित है उचित पैरवी करें। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 01 की ओर से आवेदन दिनांक 10.02.2020 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 01 का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 29.04.2019 को न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश की कार्रवाई हेतु आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादी सं0 01 इस वाद में उपस्थित होकर संघर्ष करना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि दिनांक 29.04.2019 के आदेश को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी सं0 01 को इस वाद में संघर्ष करने की अनुमति प्रदान की जाए।

वादी की ओर से दिनांक 16.11.2021 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि प्रतिवादीगण को उपस्थिति हेतु वादी की ओर से समन, रजिस्ट्री समन और अखबार में प्रकाशन की कार्रवाई की गई। परंतु प्रतिवादीगण जानबूझकर वाद में हाजिर नहीं हुए। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई का आदेश पारित करते हुए वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया। उसके पश्चात् प्रतिवादी सं0 01 इस वाद में हाजिर होकर यह आवेदन दिनांक 10.02.2020 को दाखिल किया है। प्रतिवादी सं0 01 की ओर से दाखिल आवेदन विधि और तथ्य के दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है। इससे वादी को अपूर्णिय क्षति है।

अतः प्रतिवादी सं0 01 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.02.2020 को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध समन और प्रकाशन की कार्रवाई के पश्चात् दिनांक 29.04.2019 को तामिला संपुष्ट करते हुए एकपक्षीय कार्रवाई का आदेश दिया गया। प्रतिवादी सं0 01 दिनांक 10.02.2020 को इस वाद में हाजिर होकर यह रिकॉल आवेदन दाखिल किए हैं। अभिलख के अवलोकन से विदित है कि वादी की ओर से दो साक्षियों का साक्ष्य एकपक्षीय कराया जा चुका है। प्रतिवादी सं0 01 प्रस्तुत वाद में हाजिर होकर संघर्ष करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं0 01 को इस वाद में संघर्ष करने हेतु अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0 01 की ओर से दाखिल रिकॉल आवेदन दिनांक 10.02.2020 को 500/—रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है और प्रतिवादी सं0 01 को इस वाद में संघर्ष करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिवादी सं0 01 को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि वादी को प्रदान कर अग्रिम कार्रवाई करें।

वाद दिनांक 06.07.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।